

दावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि
क. डर-3 आर.आर.डब्ल्यू. (ए) तहसील हनुमानगढ़ जमावंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या-28/28
नंबर 128/226 (9) किला नंबर 24, पत्थर नंबर 129/226 (10) किला नंबर 21 से 23, पत्थर नंबर
227 (21) किला नंबर 1, 10, पत्थर नंबर 128/227 (22) किला नंबर 4 से 7, 13 से 18, 23 से 25, पत्थर
128/228 (24) किला नंबर 3, 4 कुल तादादी 5.313 हेक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन व चक 10
डब्ल्यू के पत्थर नंबर 124/230 (60) किला नंबर 16, 17, 25 कुल तादादी 0.759 हेक्टेयर नहरी का
दार काश्तकार घोषित करते हुए इसी अनुसार खाता तकसीम करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से
मुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म
(नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे।
फ्रीकेन अपना - अपना वहन करेंगे।

दिकी आज दिनांक 15.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

मिस्ता निस्ता

तिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़